न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 123/2016

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

परसाराम पुत्र मनीराम जाट निवासी सेनणी तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

1 मनीराम पुत्र हुक्माराम (फौत) 2 दुर्गाराम पुत्र मनीराम 3 रामकिशोर पुत्र मनीराम जातियान जाट निवासीगण सेनणी तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
4 शारदा पुत्री मनीराम पत्नी ओमाराम जाति जाट निवासी सेनणी तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
5 कमला पत्नी रामकिशोर जाति जाट निवासी सेनणी तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
6 तहसीलदार मुण्डवा 7 उप पंजीयक, मुण्डवा 8 पटवारी हल्का, सेनणी तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
9 सहदेवराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाटनिवासी सेनणी तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 02 से 03 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 8 की ओर से।

दिनांक 29.07.2024

निर्णय

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मुण्डवा मौजा सेनणी के नामान्तरकरण सं. 1214 निर्णय दिनांक 26.05.16 से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.08.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.08.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलांट ने दिनांक 06.07.2023 को रेस्पोडेंट संख्या 01 मनीराम की फौत होने से उनका नाम अपील से स्ट्राइक आउट कर प्रकरण से नाम हटाने का निवेदन किया, जिसको बाद सुनवाई रेस्पोडेंट संख्या 01 मनीराम का नाम अपील से हटाया गया तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 के कायम मुकाम पहले ही प्रकरण में पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 03 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, रेस्पोडेंट संख्या 06 से 08 की ओर श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 09 की ओर से श्री अशोक कुमार वैष्णव अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या 04 व 05 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैरहाजिर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरण संख्या 1214 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर(मु.) नागौर के प्रकरण संख्या 40/13 की पत्रावली की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 21.05.13 की फोटोप्रति, ग्राम सेनणी की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 72 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय व पटवारी हल्का सेनणी ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहलेना कर म्यूटेशन स्वीकृत करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं, जिससे म्यूटेशन संख्या 1214 काबिल अपास्त किये जाने के है।

{2}(II)– पटवारी हल्का ने सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर के समक्ष लोक अदालत के शिविर में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उपरोक्त म्यूटेशन संख्या 1214 दर्ज करने के बावजूद भी स्थगन आदेश होने के कारण कोर्ट ऑफ कंटेम्प की कार्यवाही से बचने के लिए उक्त म्यूटेशन में फेरबदल किया व दिनांक 24.05.2016 गलत रूप से अंकित की, इस कारण उक्त म्यूटेशन कूटरचित होने व काट छांट करने के आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)–पटवारी हल्का ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व 5 से मिलावट कर उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्व ढंग से स्वीकृत किया है, जबकि उक्त खसरान बाबत सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रकरण संख्या 40/2013 में पारित किया हुआ रहता चला आया है, जो कि म्यूटेशन भरने के वक्त भी प्रभावी था, इन सब तथ्यों की जानकारी पटवारी हल्का व रेस्पोडेंट्स को पूर्ण

29/7/24
अपर कलक्टर, नागौर

जानकारी भी थी, परन्तु स्वयं को सदोष लाभ व अपीलांट को सदोष हानि कारित करते हुए उसके हको से वंचित करने के दुराशय से उक्त कार्यवाही की हैं, जो विधि के किसी भी प्रावधान अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से विधि विरूद्व भरा गया नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– प्रकरण संख्या 40/2013 में दिनांक 19.05.2016 को लोक अदालत शिविर हिलोडी में सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर के न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के जवाब व स्थगन के दौरान नामान्तरकरण संख्या 1214 दर्ज करने को आधार मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया, चूंकि पटवारी हल्का द्वारा अपने में निहित एकाधिकारी शक्तियों, पदीय कर्तव्यों व दायित्वों, शक्तियों का निरूपण रेस्पोडेंट व स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया हैं तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर के समक्ष भी अधूर, अपूर्व भ्रम पूर्ण भ्रामक व मिथ्या तथ्य अभिवचित करते हुए अपना जवाब पेश किया, जिससे न केवल नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, अपितु सदभावना व अपने हको को सुरक्षित करने के लिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 40/2013 भी न्यायालय द्वारा अंधेरे में रहकर निरस्त कर दिया। तथाकथित नामान्तरकरण की कार्यवाही में न तो अपीलांट व अन्य संबंधित पक्षो को पक्ष सुना गया, न ही हितबद्व व्यक्तियों के संबंध में निश्चित अनुसंधान, जांच पडताल ही की गई, अपितु बाले बाले ही पटवारी हल्का ने स्वयं में निहित शक्तियों व क्षेत्राधिकारिता का अतिक्रमण करतु हुए हस्तगत नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं, जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.05.2016 को लोक अदालत शिविर हिलोडी में प्रस्तुत अपने जवाब में उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 1214 का उल्लेख कर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मिथ्या कथन किया व बाद में स्वयं का बचाव करने के दुराशय से उक्त नामान्तरकरण में तारीख की फेरबदली कर दी गई, जबकि ऐसा करने का भी पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था, रेस्पोडेंट पटवारी हल्का को यह भली भांति जानकारी थी कि उक्त नामान्तरकरण स्थगन आदेश के प्रभावी रहते भरा जा रहा है व भरा गया है। परन्तु पटवारी हल्का ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 से दुरभिसंधि कर उनसे मिलावट करते हुए उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं, जो पोषणीय नहीं होने से इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–पटवारी हल्का सेनणी द्वारा म्यूटेशन भरते समय न तो कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की जांच की गई, न ही बेचान की सत्यता तथा बेचानकर्ता व क्रेता के वास्तविक स्वरूप की जांच की गई, केवलमात्र कार्यालय मे बैठे बैठे औपचारिकता पूर्ण करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं, जिसका कोई वैद्य अस्तित्व ही नहीं हैं, जिससे नामान्तरकरण जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)– रेस्पोडेंटस ने नामान्तरकरण जेर अपील की अपीलांट को जानकारी तक नहीं होने दी, जबकि रेस्पोडेंटस को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जेर अपील की जानकारी आदेश की तिथि से ही रहती चली आई है। अपीलांट हाल ही में बरसात होने पर अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु गया तो रेस्पोडेंट संख्या 5 ने अपीलांट को उक्त खेत में घुसने से रोका व कहा कि उक्त खेत अब रेस्पोडेंट संख्या 5 के नाम हो गया हैं, तब प्रथम बार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जेर अपील की जानकारी हुई, तब पटवारी हल्का से दिनांक 23.07.2016 को उपरोक्त वादग्रस्त खेत की खतौनी प्राप्त की एवं उसके पश्चात नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर नामान्तरकरण जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को हुई, जिससे जानकारी से अंदर मियाद अपीलांट यह अपील पेश की, जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है।

{3} वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने उक्त अपील मियाद बाहर पेश की है, अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। जिस रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण भरा गया है उस रजिस्ट्री को अपीलांट ने किसी भी सक्षम न्यायालय में कभी चेलेन्ज नही किया है। उक्त नामान्तरकण विधिअनुसार भरा होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मुण्डवा मौजा सेनणी के नामान्तरकरण सं. 1214 निर्णय दिनांक 26.05.16 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार दिनांक 19.05.16 को पटवारी हल्का सेनणी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर कैंप हिलोडी में प्रस्तुत अपने जवाब में बताया कि नामान्तरकरण संख्या 1214

29/7/24
अपर कलक्टर, नागौर

जारी किया जा चुका है जबकि नामान्तरकण स्वीकृति हेतु दिनांक 24.05.2016 को पेश किया हुआ है तथा उक्त दिनांक में भी कांट–छांट की हुई है जिससे पटवारी हल्का सेनणी के कथन एवं नामान्तरकरण की वैधता पर संशय पैदा होता है। अधीनस्थ ट्रायल न्यायालय का यह दायित्व था कि वह नामान्तरकरण से संबधित जायगा का मौके निरीक्षण करते एवं साक्ष्य/दस्तावेजों का अवलोकन करते एवं उभयपक्षों को समुचित सुनवाई कर विवाद के बिन्दु पर विवेचनात्मक निर्णय पारित करते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील अपीलांट की सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डवा मौजा सेनणी के नामान्तरकरण सं. 1214 निर्णय दिनांक 26.05.16, अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर,, दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/14

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर